



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4879] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 2018/अग्रहायण 20, 1940  
No. 4879] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 2018/AGRAHAYANA 20, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2018

सं. 1/2018-केंद्रीय कर

**का.आ. 6109(अ).**—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) वह उपबंधित करती है की इनपुट सेवा वितरक से भिन्न, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या 52 के अधीन कर संदत्त करने वाले व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 31 दिसम्बर को या उसके पहले ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाएं, इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ;

और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए उन्नत प्रक्रम पर इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली विकसित की जानी और 31 जनवरी, 2019 तक प्रचालित की जानी थी जिसके परिणामस्वरूप, उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी और इसके कारण उक्त धारा के उपबन्धों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, कठिनाईयों को दूर करने के लिए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस आदेश का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 है ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

**“स्पष्टीकरण.**—इस धारा के प्रयोजन के लिए वह घोषणा कि जाती है कि 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी 31 मार्च, 2019 को या उसके पहले प्रस्तुत की जा सकेगी”

[फा. सं. 20/06/17/2018-जी.एस.टी]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****ORDER**

New Delhi, the 11th December, 2018

**No. 1/2018-Central Tax**

**S.O. 6109(E).**—WHEREAS, sub-section (1) of section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year;

AND WHEREAS, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of section 44 of the said Act, the electronic system to be developed is at the advanced stage and is likely to be made operational by the 31<sup>st</sup> January, 2019 as a result whereof, the said annual return for the period from the 1<sup>st</sup> July, 2017 to the 31<sup>st</sup> March, 2018 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, the Central Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:—

1. Short title.—This Order may be called the Central Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2018.

2. In section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, after sub-section (2), the following Explanation shall be inserted, namely:—

**“Explanation.**—For the purposes of this section, it is hereby declared that the annual return for the period from the 1<sup>st</sup> July, 2017 to the 31<sup>st</sup> March, 2018 shall be furnished on or before the 31<sup>st</sup> March, 2019.”

[F. No. 20/06/17/2018-GST]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.